न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
021/2021 (रसद) (GCMS 2021/398)	01.10.2021	27.10.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस थानाधिकारी, पुलिस थाना चंदेरिया चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

चिरंजीलाल पिता मंगलेश्वर लाल जाति राव उम्र 43 वर्ष निवासी रामदेवजी का चंदेरिया पुलिस थाना चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
विपक्षी स्वयं

आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.07.2021 को ईनाणी मार्बल के पीछे ट्रक पार्किंग स्थल सर्विस सेंटर के भूमिगत टेंक में भरा हुआ पदार्थ देखने एवं सूंघने पर बायो डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया जाने की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी के आदेश अनुसार मनजीत सिंह प्रवर्तन अधिकारी मय पुलिस जाप्ता के उक्त सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई हैं। उक्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए प्रवर्तन अधिकारी पर मनजीत सिंह प्रवर्तन निरीक्षक शिवराम चौधरी मय पुलिस जाप्ता ईनाणी मार्बल के पीछे ट्रक पार्किंग स्थल पर बने सर्विस सेंटर के पानी टेंक में भरा हुआ 900 लीटर बायो डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया गया। मौके पर सर्विस सेंटर के पानी के भूमिगत टैंक को सिल चिट किया गया तथा मौके पर सर्विस सेंटर के मालिक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम चिरंजीलाल पिता मंगलेश्वर लाल जाति राव उम्र 43 साल निवासी रामदेवजी का चंदेरिया पुलिस थाना चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़ होना बताया व टैंक में बायो डीजल भरा होना बताया। मौके पर जब्तशुदा टैंक में से बायोडीजल जैसे पेट्रोलियम पदार्थ के नमूने लिये

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

गये व कृत्य करने वाले के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई व चिरंजीलाल पिता मंगलेश्वर लाल जाति राव के विरुद्ध प्रथम मुकदमात दर्ज किया गया। इस कृत्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत स्पष्ट उल्लघंन किया गया। अन्त में प्रार्थना की गई कि जब्तशुदा सर्विस सेंटर के भूमिगत टैंक में 900 लीटर बायो डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। उक्त बायो डीजल जैसे पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर आवेदक थानाधिकारी पुलिस थाना चंदेरिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये। इस पर दिनांक 27.10.2021 को विपक्षी स्वयं हाजिर आया एवं प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रुप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिया जाकर राजसात किये जाने विपक्षी को कोई उज्र-आपत्ति नहीं है। इस पर बहस के रिवटल में हाजिर पैरोकार सरकार ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख

न्यायालय जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया। एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिवर्ज किया गया।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने पर विपक्षी को किसी भी प्रकार को कोई उज्र एतराज नहीं होना जाहिर होता है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 900 बायो डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी पुलिस थानाधिकारी चंदेरिया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना कोतवाली चंदेरिया में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 136/2021 दिनांक 14.07.2021 में दिनांक 23.06.2021 को जब्तशुदा कुल 900 लीटर बायो डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं, जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 900 लीटर बायो डीजल जैसा पेट्रोलियम पदार्थ को थानाधिकारी, पुलिस थाना चंदेरिया से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना चंदेरिया को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>27.10.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official